न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **04/25 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2025/9

1. दिनेशचन्द्र मेघवाल पिता भीमलाल जी जाति मेघवाल, उम्र वयस्क, निवासी मेनार, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. अणछाई पुत्री ऊँकारलाल जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. नारायणलाल पुत्र ऊँकारलाल जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. बंशीलाल पुत्र ऊँकारलाल जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. बसन्तीबाई पुत्री ऊँकारलाल जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. मोहनीबाई पुत्री ऊँकारलाल जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. रामचन्द्र पुत्र ऊँकारलाल जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. रोशनलाल पुत्र सुरेशचन्द्र जी जाति लखेरा (लखारा), उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. विजय पुत्र राधेश्याम जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
10. सोहनीबाई पुत्री ऊँकारलाल जी जाति लखारा, उम्र वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. पटवारी, पटवार हल्का ईन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. शिवलाल पिता पन्नालाल जाति जणवा निवासी ईण्टाली तहसील मावली जिला उदयपुर।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण ।

2. श्री दिलीप वैष्णव, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

दिनांक : 08.08.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ईन्टाली, पटवार हल्का ईन्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) के आराजी नम्बर 6043/1113 रकबा 0.4856 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रार्थी के नाम स्वतंत्र रूप से खातेदारी हक से अंकित है। आराजी नम्बर 6042/1113 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 1 से 10 के नाम हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से खातेदारी हक से अंकित हैं। उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये किस्म रास्ता आराजी नम्बर 1114 के सटमा पश्चिमी दिशा में स्थित विपक्षी संख्या 1 से 10 की आराजी नम्बर 6042/1113 के दक्षिणी भू भाग पर पूर्व से पश्चिम की और जाता हुआ 30 फीट चौड़ा रास्ता मुझ प्रार्थी की आराजी नम्बर 6043/1113 की पूर्वी सीमा के सटमा तक बना हुआ है जिससे होकर मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर आते जाते रहे हैं तथा इसी रास्ते से होकर कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी, ट्रैक्टर द्वारा मेरी कृषि भूमि पर लाते ले जाते आ रहे हैं तथा इसी अनुसार रास्ते का सदीप से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी उपयोग उपभोग करते आ रहे है। साथ संलग्न सांकेतिक नजरी नक्शे में रास्ता को लाल रंग से दर्शाया गया है। सांकेतिक नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।
2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिये विपक्षीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि में स्थित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही हैं और वर्षों से मेरे पूर्वाधिकारी एवं मैं प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते चले आये हैं। लेकिन वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 10 के नाम पर है और इन सभी ने आपस में मिलीभगत कर दिनांक 23–01–2025 को अपने परिवार के सदस्यों के साथ गौके पर आकर एवं हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित आराजी पर बने रास्ते पर अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों में आने जाने से रोक दिया और समझाने पर भी नही माने बल्कि मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये। वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 10 द्वारा उक्त रास्ते में अवरोध पैदा कर मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर मेरी जमीनों पर आवागमन करने से रोक देने से मैं प्रार्थी एवं मेरे परिजन अपनी कृषि भूमि पर आ जा नहीं पा रहे है और न ही अपनी भूमि की सार सम्भाल, जुताई खाद वगैरा ही करवा सक रहा हैं जिससे मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ रही हैं।

3. यह कि वर्तमान में मेरी उक्त वर्णित कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये एकमात्र रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 10 की भूमि पर ही है जिस रास्ते से होकर ही मैं प्रार्थी एवं मेरे पूर्वाधिकारी मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि पर निर्बाध रूप से कृषि कार्य हेतु आवागमन करते रहे है और वर्तमान में भी मुझ प्रार्थी के लिये अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने जाने के लिये सुगमता पूर्वक यही मार्ग हैं तथा इसी रास्ते से ही सुगमता पूर्वक मैं प्रार्थी अपनी कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा ला व ले जा सकता हूँ। इसके अलावा मेरी कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये कोई मार्ग न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी रहा है। मैने मेरी कृषि भूमियो में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 10 को उक्त आराजी में स्थित रास्ते पर उत्पन्न किये गये अवरोध को हटाने एवं रास्ता पूर्व अनुसार चालु किये जाने हेतु निवेदन किया किन्तु विपक्षी संख्या 1 से 10 ने रास्ते से आवागमन करने देने से साफ इन्कार कर दिया और विपक्षी संख्या 1 से 10 एवं इनके परिवार के सदस्यों ने मेरे साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हुए। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिये विपक्षी संख्या 1 से 10 की खातेदारी की कृषि भूमि में संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किये गये भू भाग पर बैलगाड़ी, ट्रेक्टर सुगमता पूर्वक आ–जा सके उतनी चौड़ाई का अर्थात 30 फीट चौड़ा रास्ता विधिक रूप से कायम कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है और न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कायम किये जाने वाले रास्ते की नियमानुसार राशि मैं प्रार्थी अदा/जमा कराने को तैयार हूँ।

4. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 08.01.2012 को संशोधन कर नयी धारा 251 (क) अन्तःस्थापित कर अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार कराने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी खातेदार द्वारा अवरोध किया जाता है तो न्यायालय के द्वारा आदेश प्राप्त कर अपने खेतो तक पहुँचने के लिये नया मार्ग बनाने एवं विद्यमान मार्ग को चौड़ा कराने का प्रावधान दिया गया हैं। इसलिये यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 23–01–2025 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 10 ने अपने परिवार के सदस्यों की मदद से विपक्षीगण के नाम अंकित भूमि पर स्थि[illegible] में अवरोध पैदा कर रास्ते को बन्द कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

दिया और मुझ प्रार्थी को उक्त रास्ते से आवागमन करने से रोक दिया। जिसपर मैने विपक्षी संख्या 1 से 10 को उनकी भूमि में स्थित रास्ते से मेरी कृषि भूमि पर आवागमन करने देने एवं रास्ते में कोई अवरोध पैदा नही करने हेतु कहा तो विपक्षी संख्या 1 से 10 ने इन्कार कर दिया और मेरे साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हुए, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि मुझ प्रार्थी के नाम अंकित कृषि भूमि पर पहुँचने के लिए विपक्षीगण के नाम अंकित भूमि के दक्षिणी भू भाग पर अर्थात संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित भाग पर 30 फीट चौडा (ट्रेक्टर, बैलगाड़ी सुगमता पूर्वक गुजरने की चौड़ाई में) मार्ग विधिक रूप से कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग को राजस्व रेकर्ड एवं राजस्व नक्शे में ष्रास्ताष् के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु विपक्षी संख्या 11 व 12 को आदेशित किया जावें और उक्त रास्ते का नियमानुसार शुल्क जमा कराने हेतु मुझ प्रार्थी को निर्देशित किया जावें। विपक्षी संख्या 1 से 10 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि विपक्षी संख्या 1 से 10 उनकी भूमि में स्थित उक्त रास्ते (जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से चिन्हित किया गया है) से होकर प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि में शांतिपूर्वक आवागमन करने देवे और कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाड़ी ट्रेक्टर द्वारा लाने ले जाने में कोई व्यवधान पैदा नही करे, उक्त रास्ता को न अवरूद्ध करे, न बाधित करे, प्रार्थी को उक्त मार्ग का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, हांके नही, बाड़ नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट, परिवारजन इत्यादि के ही करावे।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली के अनुसार राजस्व ग्राम ईण्टाली की जमाबंदी संवत् 2077–80 के खाता संख्या 431 पर दर्ज आराजी नम्बर 6043/1113 रकबा 0.4856 हेक्टेयर किस्म बंजड़ दिनेश चन्द्र मेघवाल पुत्र भीम लाल निवासी मेनार तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर दर्ज रिकार्ड हैं। राजस्व ग्राम ईण्टाली की जमाबंदी संवत् 2077–80 के खाता संख्या 1274 पर दर्ज आराजी नम्बर 6042/1113 रकबा 0.3237 हेक्टेयर किस्म बंजड़ अणछाई बाई, नारायणलाल, बंशीलाल, वसन्तीबाई, मोहनीबाई, रामचन्द्र, सोहनीबाई पिता उंकारलाल प्रत्येक हिस्सा 1/9 राजेश कुमार पुत्र राधेश्याम 1/18, रोशनलाल पुत्र सुरेशचन्द्र 1/9. विजय पुत्र राधेश्याम 1/18 दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी दिनेश चन्द्र पिता भीमलाल मेघवाल अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी आराजी नम्बर 6043/1113 में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 6042/1113 में से आवाजाही हेतु काम में ले रहा है। राजस्व ग्राम ईण्टाली की जमाबंदी संवत् 2077–80 के खाता संख्या 1274 पर दर्ज आराजी नम्बर 6042/1113 रकबा 0.3237 हेक्टेयर किस्म बंजड में से 0.0365 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की जाती है। खातेदार की खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

8. विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 10 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में उक्त रास्ते का प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते हुए हक त्याग कर दिया गया। जिसके कारण इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। विपक्षी संख्या 3 द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के बाबत् पी.डी. (प्रारम्भिक डिक्री) मंगवाई गई जिसकी सूचना पटवारी हल्का ने विपक्षी को नहीं दी ओर विपक्षी की गैर मौजूदगी में मनमाफिक तरीके से प्रार्थी से मिलीभगत करते हुए प्रार्थी की आराजी संख्या 6043/1133 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी सं. 6042/1113 में से होकर रास्ता बता दिया जबकि विपक्षी की उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि के चारों ओर बाड़ बन्दी की हुई कोई रास्ता मौके पर ना कभी था ना ही है, प्रार्थी के अभिवचन की आराजी सं. 6042/1113 के दक्षिणी भू–भाग पर पूर्व से पश्चिम पूर्वी सीमा की ओर रास्ता होना बताया है वो मिथ्या एवं मनगढ़न्त है मौके पर विपक्षी की उपरोक्त आराजी मे से कोई रास्ता नहीं बना हुआ हैं। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने के लिए विगत कई वर्षों से पूर्व से ही आम रास्ता बना हुआ है जिससे प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आ रहा है। प्रार्थी एवं अन्य लोग अपनी–अपनी खातेदारी कृषि भूमियों पर आने–जाने के लिए आराजी संख्या 1113, 6327/1113 से आते जाते आ रहे है ओर मौके पर आम रास्ता बना हुआ जिसके प्रमाण जो गुगल मैप पर भी उपलब्ध है। फिर भी प्रार्थी ने पटवारी से मिली भगत कर प्रार्थी की खातेदारी जमीन में आने जाने का रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद अपनी रिपोर्ट में मिथ्या तथ्य अंकित कर यह अंकित किया की प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए अन्य कोई रिर्कोडेड रास्ता नहीं है जबकि प्रार्थी की आराजी में जाने–आने के लिए आराजी संख्या 1113, 6327/1113 में रास्ता बना हुआ है जिसकी रिर्पोट पटवारी ने जानबूझकर प्रार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं की है। प्रार्थी को अपनी जमीन पर आने जाने के लिए मौके पर मार्ग मौजूद होने पर भी वह जबरन न्यायालय से विपक्षी खातेदारी मे से रास्ता निकालना चाहता है। इसलिए पटवारी से गलत रिपोर्ट तैयार करवा कर आप न्यायालय में प्रस्तुत कर दी जिस पर विपक्षी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

गंभीर एतराज है। जो स्वीकार्य नहीं है। अंत में निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाते हुए पटवारी जरिये तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को रेकर्ड पर नहीं लिया जावें एवं पुनः निष्पक्ष रिपोर्ट मंगवाई जाने के आदेश प्रदान करावे।

9. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है। विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि में तहसीलदार मावली द्वारा निकटतम दूरी वाला रास्ता बताया गया है। परन्तु विपक्षीगण प्रार्थी को अपनी भूमि में से नही जाने दे रहे है। प्रार्थना पत्र विचाराधीन रहते हुए भी भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे है। जिससे की प्रार्थी के प्रकरण का निस्तारण नही हो सके । प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय भूमि विपक्षी संख्या 1 से 10 के नाम दर्ज थी। उसके पश्चात विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 10 द्वारा उक्त भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि का हक त्याग विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया। उसके पश्चात विपक्षी संख्या 3 द्वारा भूमि का विक्रय विपक्षी संख्या 13 के पक्ष में कर दिया गया। उक्त सभी परिवर्तन दौराने प्रकरण हुए है। अंत में निवेदन किया कि तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण का निस्तारण करते हुए रास्ता कायम किया जावे।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि पर जाने के लिए रास्ता पूर्व है। प्रार्थी द्वारा अपनी मनमुताबिक रिपार्ट तैयार करवाई गई। प्रार्थी की भूमि में से रास्ता नही दिया जा सकता है। तहसीलदार से पुनः रिपोर्ट विपक्षीगण की उपस्थित में तैयार करवाई जावे। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिए आराजी नम्बर 1113, 6327/1113 में बना हुआ है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का आपत्ति का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट रिकॉर्ड पर नही ली जावे। प्रार्थी की भूमि में से रास्ता नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन [illegible] सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:08:46 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम ईंटाली पटवार हल्का ईंटाली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 431 पर दर्ज आराजी नम्बर 6043/1113 रकबा 0.4856 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है। अधिवक्ता विपक्षी के कथनानुसार उक्त भूमि पर जाने हेतु रास्ता आराजी नम्बर 1113, 6327/1113 में से है। परन्तु अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि उक्त भूमि में जाने हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता हो। केवल मात्र गुगल नक्शा प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि आराजी नम्बर 6327/1113 से मौके पर रास्ता बना हुआ है, परन्तु उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नही है। उक्त भूमि चारागाह भूमि है। साथ ही उक्त मौके पर बना रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि में नही जाता है। इस प्रकार विपक्षी स्वयं द्वारा प्रस्तुत गुगल मैप से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी की भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता ना तो मौके पर है तथा ना ही रिकॉर्ड में है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अतिआवश्यकता प्रतीत होती है। प्रकरण विचाराधीन रहते हुए भी विपक्षी संख्या 1, 2 एवं 4 से 10 द्वारा भूमि का हक त्याग विपक्षी संख्या 3 पक्ष में किया गया। उसके पश्चात विपक्षी संख्या 13 द्वारा प्रकरण विचाराधीन रहते हुए क्रय की गई है। इससे स्पष्ट जाहीर होता है कि विपक्षी संख्या 13 को प्रकरण का भली भांती ज्ञान है। प्रकरण विचाराधीन रहते हुए भी भूमि को खुर्द बुर्द कर रहे है। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण उक्त प्रकरण को जारी रखना चाह रहे है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्राम ईंटाली की बिलानाम गैर काबिल काश्त आराजी नम्बर 1114 रकबा 0.4209 किस्म रास्ता एवं प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 6043/1113 के मध्य विपक्षी संख्या 13 की (पूर्व के खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 10) आराजी नम्बर 6042/1113 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षी संख्या 13 (पूर्व के खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 10) की आराजी नम्बर 6042/1113 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0365 हैक्टेयर भूमि बनती है। प्रार्थी उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested

Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। उपतहसीलदार सनवाड द्वारा रास्ते की भूमि की राशि की गणना भी की गई है। परन्तु प्रकरण में हाल डीएलसी की नकल संलग्न नही की गई। पुनः गणना करवाकर प्रार्थीगण से राशि लिया जाकर विपक्षी संख्या 13 को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम ईंटाली पटवार हल्का ईंटाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 6042/1113 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि में से 0.0365 हैक्टेयर अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 365 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि रास्ते में प्रयुक्त भूमि का राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर प्रार्थीगण से वसूल कर नियमानुसार वर्तमान खातेदार को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (FT)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested